

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक - 1027 / न० नि०

सेवा में,

श्री मती गीता देवी पति-श्री रामजी पुमाद सिंह स्व

~~श्री~~ श्री आस मुख्तार श्री आजाद मुखजी

पिता - श्री एन०सी० मुखजी,

पता - बीर कौर सिंह कोलोनी, सरायदेला,

धनबाद ।

धनबाद, दिनांक 4/12/13

विषय:- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न० बी० डी० - 853/12-13 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 6.3.13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 2006 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 50211112-13

जमाबंदी संख्या 5232 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 12-13 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 853/12-13 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशानुसार सूचित करना है कि कोलासमा-12 मौजा अन्तर्गत खाता न० 109,87 प्लॉट न० 234,244 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाइसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 19300 समा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।